भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4399

23 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय बांस मिशन

4399. श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री चंद्रशेखर साहू:

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

श्री सुधीर गुप्ता:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बांस किसानों की आय दोगुनी करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा लोगों की आजीविका में सुधार लाने के लिए एक प्रमुख फसल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विशेषरूप से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बांस की खेती होती रही है;

(ग) क्या सरकार की बांस आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में बांस मिशन के अंतर्गत स्थापित नर्सरियों का ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में राज्य-वार कितनी नर्सरी की स्थापना की संभावना है;

(ड.) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में बांस के लिए बाजार स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): जी हां। बांस उत्पादकों को बाजार (उद्योग) से जोड़ने के लिए संपूर्ण बांस मूल्य श्रृंखला के विकास हेतु वर्ष 2018-19 में पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) की शुरूआत की गई थी।

इसके उद्देश्यों में कृषि आय में सहायता करने के लिए बांस रोपण के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि करने के साथ-साथ पौधशालाओं की स्थापना करने के लिए किसानों की सहायता करना शामिल है।

सामान्य सुविधा केंद्रों, उपचार ईकाइयों, उत्पाद विकास ईकाइयों की स्थापना आदि सहित फसलोपरांत गतिविधियों का विकास स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आजीविका को भी बढ़ाता है। इस प्रयोजनार्थ कौशल विकास और जागरूकता सृजन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(ख): 23 राज्य हैं जिनमें वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों की खेती सहित एनबीएम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनके नाम हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।

(ग): एनबीएम हस्तशिल्प, फर्नीचर, आभूषण, बांस की शाखाओं के प्रसंस्करण, अगरबत्तियों, रेशा निकालने, चारकोल आदि सहित विभिन्न उत्पाद विकास ईकाइयों की स्थापना में सहायता करता है। अब तक ऐसी 278 ईकाइयों की स्थापना की गई हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) पारंपरिक उद्योगों और शिल्पकारों को कलस्टर में व्यवस्थित करने को ध्यान में रखते हुए देशभर में 'पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष योजना (एसएफयूआरटीआई)' नामक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनकी आय में वृद्धि की जा सके। बांस से संबंधित कलस्टरों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(घ): एनबीएम की शुरूआत से इसके तहत 323 पौधशालाओं की स्थापना की गई है। राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कुल 800 पौधशालाओं की स्थापना किए जाने की संभावना है।

(ड.): जी हां। पुनर्संरचित एनबीएम के तहत स्थापित बांस बाजारों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(च): वर्ष 2018-19 से 2020-21 (दिनांक 28.02.2021 तक) 27111 किसानों को लाभान्वित करते हुए पुनर्संरचित एनबीएम के तहत बांस रोपण द्वारा 16604 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। बांस की पौधशालाओं को मान्यता देने और रोपण सामग्री के प्रमाणन हेतु दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं ताकि किसानों के लिए वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण बांस की प्रजातियों की गुणवत्ताप्रद रोपण सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

बांस की खेती को बढ़ावा देने क लिए 204 कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया है। किसानों/ शिल्पकारों एवं फील्ड कार्मिकों सहित 10850 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। एनबीएम हब (उद्योग) और स्पोक मॉडल के रूप में कार्य करने को परिकल्पित करता है ताकि अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संपर्कों को नियोजित किया जा सकता है और इसे इष्टतम रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

अनुबंध – I

एसएफयूआरटीआई योजना के तहत बांस से संबंधित कलस्टरों का विवरण						
क्र.सं.	**कलस्टरों का नाम**	**स्थिति**	**जिला**	**राज्य**	**शिल्पकारों की संख्या**	**भारत सरकार की सहायता (लाख रुपये में)**
1	बांस हस्त शिल्प और नागा पारंपरिक वस्त्र क्लस्टर	कार्यात्मक	दीमापुर	नागालैंड	300	147.86
2	बाँस और मिट्टी के बर्तन	कार्यात्मक	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	250	150.74
3	सिंधुदुर्ग बाँस	कार्यात्मक	नलबाड़ी	महाराष्ट्र	250	149.89
4	तापी बाँस के कलस्टर	कार्यात्मक	तापी	गुजरात	512	207.9
5	सकोली बाँस के कलस्टर	कार्यात्मक	भंडारा	महाराष्ट्र	426	193.76
6	बाँस के कलस्टर	कार्यात्मक	बेतुल	मध्य प्रदेश	817	286.4
7	बाँस के कलस्टर	कार्यात्मक	खंडवा	मध्य प्रदेश	441	218.01
8	बांस शिल्प क्लस्टर	कार्यात्मक	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	891	343.31
9	होशंगाबाद बांस क्लस्टर	स्वीकृत	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	474	149.44
10	बांस की चटाई के कलस्टर	स्वीकृत	पश्चिम त्रिपुरा	त्रिपुरा	500	272.21
11	बांस शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	मयूरभंज (बारीपाड़ा)	ओडिशा	687	368.21
12	बांस शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	कालाहांडी (भवानीपटना)	ओडिशा	500	199.6
13	बांस शिल्प रोहिबंका क्लस्टर	स्वीकृत	नयागढ़ (रोहिबंका)	ओडिशा	500	193.55
14	ढेंकनाल बांस शिल्प और अगरबत्ती क्लस्टर	स्वीकृत	ढेंकनाल, गोंडला	ओडिशा	500	192.19
15	बेंत और बांस	स्वीकृत	वेस्ट गारो	मेघालय	241	103.76

	क्लस्टर, सेलेसेला		हिल्स			
16	बेंत और बांस आधारित फर्नीचर और उपयोगिता उत्पाद क्लस्टर	स्वीकृत	तामेंगलांग	मणिपुर	372	218.13
17	बेंत और बांस शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	चंदेल	मणिपुर	500	222.07
18	बेंत और बांस क्लस्टर	स्वीकृत	नवसारी	गुजरात	250	144.13
19	मैंगांव बांस प्रसंस्करण क्लस्टर	स्वीकृत	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र	400	179.34
20	डांग बाँस का कलस्टर	स्वीकृत	नवसारी	गुजरात	252	122.62
21	बांस बेंत एवं शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	मोकोकचुंग	नागालैंड	250	237.86
22	बांस शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	रांची	झारखंड	698	393.76
23	वर्धा बांस क्लस्टर	स्वीकृत	वर्धा	महाराष्ट्र	229	161.12
24	बांस शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	कोरबा	छत्तीसगढ	903	344.88
25	तिलकवाड़ा बांस शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	नर्मदा	गुजरात	415	213.14
26	नवापारा बाँस हस्तशिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	बीरभूम	पश्चिम बंगाल	360	198.44
27	चंद्रगुंडा बांस क्लस्टर	स्वीकृत	बद्राद्री	तेलंगाना	957	313.47
28	बेंत और बांस प्रसंस्करण, फर्नीचर बनाने वाले क्लस्टर	स्वीकृत	ज़ुन्हबोतो	नागालैंड	280	192.13
29	बेंत प्रसंस्करण और बांस व बेंत फर्नीचर क्लस्टर	स्वीकृत	इम्फाल पूर्व	मणिपुर	250	216.67
30	बांस आधारित क्लस्टर	स्वीकृत	गोरछा, बांसवाड़ा	राजस्थान	331	185.32
31	बांस शिल्प क्लस्टर	स्वीकृत	अमरावती	महाराष्ट्र	945	356.89
32	बांस आधारित स्वदेशी खिलौने के	स्वीकृत	बैहर, बालाघाट	मध्य प्रदेश	760	303.36

	क्लस्टर					
33	पारंपरिक भारतीय बांस और लकड़ी आधारित खिलौने के क्लस्टर	स्वीकृत	सिजोहरा गांव, मंडला	मध्य प्रदेश	776	363.35
34	मजलिसबाग बांस हस्तशिल्प कलस्टर	स्वीकृत	मालदा	पश्चिम बंगाल	307	193.72
35	बांस शिल्प और बांस खिलौने के क्लस्टर	स्वीकृत	रतलाम	मध्य प्रदेश	701	347.7
36	बांस मूल्यवर्धन और जीरो-वेस्ट अगरबत्ती क्लस्टर	स्वीकृत	सिवनी	मध्य प्रदेश	1006	433.32

अनुबंध – II

पुनर्संरचित एनबीएम के तहत स्थापित पौधशालाओं का राज्यवार विवरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**स्थापित की गई पौधशाला (संख्या में)**
1	बिहार	60
2	छत्तीसगढ	13
3	हिमाचल प्रदेश	4
4	झारखंड	8
5	कर्नाटक	17
6	मध्य प्रदेश	9
7	महाराष्ट्र	2
8	ओडिशा	15
9	उत्तर प्रदेश	15
10	उत्तराखंड	10
11	अरुणाचल प्रदेश	13
12	असम	10
13	मणिपुर	16
14	मेघालय	7
15	मिजोरम	16
16	नागालैंड	2
17	सिक्किम	17
18	त्रिपुरा	78
	बांस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी)	
19	बीटीएसजी - केरल वन अनुसंधान संस्थान	1
20	बीटीएसजी- भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद	7
21	बीटीएसजी- पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद (पूर्ववर्ती सीबीटीसी)	3
	कुल	**323**

अनुबंध – III

पुनर्संरचित एनबीएम के तहत स्थापित बांस बाजारों का राज्यवार विवरण					
क्र.सं.	**राज्य**	**बांस की स्थापित बाजार**			
		बांस मंडी (बांस बाजार स्थान) और ई-ट्रेडिंग को बढ़ावा देना	**ग्रामीण हाट**	**बाँस का बाजार**	**कुल**
1	छत्तीसगढ	-	-	7	7
2	झारखंड	-	-	2	2
3	कर्नाटक	-	-	1	1
4	मध्य प्रदेश	2	3	3	8
5	महाराष्ट्र	1	-	3	4
6	ओडिशा	-	3	6	9
7	उत्तर प्रदेश	-	-	5	5
8	उत्तराखंड	1	2	8	11
9	अरुणाचल प्रदेश	2	-	-	2
10	मणिपुर	-	-	1	1
11	मिजोरम	-	2	-	2
12	नागालैंड	-	10	5	15
	बांस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी)				
13	बीटीएसजी- केरल वन अनुसंधान संस्थान	-	-	1	1
	कुल	**6**	**20**	**42**	**68**

****